

प्रपत्र संख्या 29 (नियम 12)
अन्वेषण का प्रमाण पत्र की संख्या
198 के प्रमाण पत्र की संख्या
198 के प्रार्थना पत्र की संख्या

ने मेरे पास नीचे उल्लिखित सम्पत्ति के पत्र-देने के लिये प्रार्थना पत्र दिया है। सम्पत्ति का विवरण प्रार्थना पत्र में उल्लिखित के अनुसार दिया जायेगा।

आलोक 7) कामगमन 100	7 (100) - 100 - 100	स्वामय 100 586 रुक 0-094 80
कालका जी 15	100 100 100	ब्राम 100 577 रुक 2-116 80
पुवीन केदल 510	जीवान 100 100	गोप 100 577 रुक 2-116 80
10-5-70 330 रुक 7	नी 100 100	व 100 577 रुक 2-116 80

हैं एतद् द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त सम्पत्ति हर प्रभाव डालने वाले कार्यों तथा तत्सम्बन्धी भार प्रस्तावों के लिये वर्ष 22/7/2005 से 21/7/11 तक प्रस्तुत तथा अनुक्रमणिकाओं का अन्वेषण किया गया है और ऐसे अन्वेषण से निम्नलिखित कार्य भार प्रस्तुता प्रकट होता है ।

सम्पत्ति का विवरण जैसा लेक्ष्य में दिया है ।	निष्पादन का दिनांक	लेखा का प्रकार तथा मूल्य	पक्षकारों के नाम निष्पादन अलटमेन्ट	प्रविष्ट संख्या वर्ष

मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त कार्यों तथा प्रस्तुताओं के अतिरिक्त उक्त सम्पत्ति जो प्रसारित करने वाला कोई अन्य भार प्रस्तुता प्राप्त नहीं हुई है।

करने वाला कोई अन्य भार प्रस्तुत प्राप्त नहीं हुई है।
1- इस प्रमाण में प्रदर्शित वे भार ग्रस्तताएँ हैं जो कि प्रार्थी द्वारा वर्णित सम्पत्ति के विवरण से अभिन्न हैं। यदि निबधन अभिलेखों में सम्पत्ति का विवरण अपने से भिन्न रीति से दिया गया है जैसा प्रार्थी ने नहीं लिखा है तो उस स्थिति में वैसी भार ग्रस्तियों का प्रमाण पत्र में समावेश नहीं किया जायेगा।

उस स्थिति में वैसी भार ग्रस्तियों का प्रमाण पत्र में समावेश नहीं किया जा सकता है।
वांछित अन्वेषण व प्रमाण-पत्र यथा सम्भव सावधानी पूर्वक कार्यालय द्वारा तैयार किया गया है। फिर भी
विभाग किसी भी अन्वेषण प्रमाण-पत्र की त्रुटि अथवा इसके परिणामों के लिये उत्तरदायी नहीं है।

विभाग किसी भी अन्वेषण प्रमाण-पत्र को त्रुटि अथवा इसके परिणामों को रद्द करने के लिए प्रारंभिक रूप से तैयार नहीं करता है।
हमें जो चेष्टाएं करनी होंगी वे जो प्राप्त हो गये हैं किन्तु जिसका निबंधन हो गया है के सम्बन्ध में भार

प्रमोद अमिलेखागार
का० उ० मि० ॥ मथुरा